

13/01/17 पत्रवली पेश हुई। प्रकृलाय उप. I.P.O. का
सा. बीर पर है। पत्रवली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 24/11/17 को पेश है।

24/11/17 पत्रवली पेश हुई। प्रकृलाय उप. I.P.O.
सा. बीर पर है। पत्रवली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 30/11/17 को पेश है।

30/11/17 पत्रवली पेश हुई। प्रकृलाय उप. I.P.O.
सा. बीर पर है। पत्रवली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 7/12/17 को पेश है।

7/12/17 वकील शर्मा उप. वकील शर्मा ने दस्तावेज
की सूची के साथ दस्तावेज पेश किए जो शामिल
पत्रवली किए गए। वह वकील शर्मा चुनी गई।
दौराने वकालत वकील शर्मा ने शर्मा
पर में कर्मित तथ्यों को दोहराते हुए शर्मा पर
स्वीकार करने का निवेदन किया।

वकालत वकील शर्मा चुनी गई एवं पत्रवली
च पत्रवली में उपलब्ध रिकार्ड का इन्वोल्वमेंट किया
गया। राजस्व ग्राम ग्राम नगर की जमावदी 2012-2015
के इन्वोल्वमेंट ले पाया गया कि शर्मा ख.नं. 261
रकबा 1.26 हे की खाले दारी नरसा पुड और मोंम हरिजन
सांठेह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। ख.नं. 261 के पुराने
ख.नं. 1042/24 र्य जा मिलान क्षेत्रफल के जापित ही
उक्त शर्मा शर्मा को र्व में आवंटन हुई थी। वकील
शर्मा द्वारा उल्लूह आवंटन परामर्श जारी द्वारा की गई
सिफारिश की उपाधिक सूचि पेश की है जिसमें शर्मा
के पिता का नाम जोरु कर्मित है। कथित नरसा पुड

उक्त जोरु चमार कंठित है) तथा वकील प्राची द्वारा
उक्त राज्य ग्राम भाकडी की जमाकी सं 2038 से 2041
के इक्वेलर से पाया गया कि भूमि खण्ड 1042/24
की खातेदारी नरसा पुत्र जोरु कौम हरिजन सा. डेट
के नाम दर्ज रिकार्ड है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट
होता है कि उक्त श्रृंखला एक लिपीकीय भूल है जो उक्त
से होना प्रतीत होती है। जिसे सुदृष्ट किया जाना उचित
समझा है।

उक्त उपरोक्त विवेचन के आधार
पर प्राची का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार
किया जाता है तथा तहसीलदार नीमराधाना को
आदेश दिया जाता है कि भूमि खण्ड 261 रकबा
26 है तन ग्राम श्याम नगर तहसील नीमराधाना में
दर्ज खातेदार नरसा पुत्र जोरु के ध्यान पर नरसा
पुत्र जोरु दर्ज कर राज्य रिकार्ड में सुदृष्टी करे। तदनुसार
सुदृष्टी हेतु तहसीलदार नीमराधाना को तहरीर जारी
की जाये। दस्तावेजी फाइल नुमांदा होकर नम्बर से
क्रम होकर दारिद्र्य दफ्तर हो।

जा

(राजदीश प्रसाद गौड़)
उपस्थित अधिकारी
नीम का कान (तहसील)